

Rule 86 : Electronic Credit Ledger

- (1) The electronic credit ledger shall be maintained in **FORM GST PMT-02** for each registered person eligible for input tax credit under the Act on the common portal and every claim of input tax credit under the Act shall be credited to the said ledger.
 - (1) The electronic credit ledger shall be debited to the extent of discharge of any liability in accordance with the provisions of section 49 ¹[or section 49A or section 49B].
 - (3) Where a registered person has claimed refund of any unutilized amount from the electronic credit ledger in accordance with the provisions of section 54, the amount to the extent of the claim shall be debited in the said ledger.
 - (4) If the refund so filed is rejected, either fully or partly, the amount debited under sub-rule (3), to the extent of rejection, shall be re-credited to the electronic credit ledger by the proper officer by an order made in **FORM GST PMT-03**.
- ²[(4A) Where a registered person has claimed refund of any amount paid as tax wrongly paid or paid in excess for which debit has been made from the electronic credit ledger, the said amount, if found admissible, shall be re-credited to the electronic credit ledger by the proper officer by an order made in **FORM GST PMT-03**.]
- ³[(4B) Where a registered person deposits the amount of erroneous refund sanctioned to him,—
- (a) under sub-section (3) of section 54 of the Act, or
 - (b) under sub-rule (3) of rule 96, in contravention of sub-rule (10) of rule 96,
- along with interest and penalty, wherever applicable, through **FORM GST DRC-03**, by debiting the electronic cash ledger, on his own or on being pointed out, an amount equivalent to the amount of erroneous refund deposited by the registered person shall be re-credited to the electronic credit ledger by the proper officer by an order made in **FORM GST PMT-03A**.]
- (5) Save as provided in the provisions of this Chapter, no entry shall be made directly in the electronic credit ledger under any circumstance.

1 Inserted by Noti. No. 03/2019-Central Tax, dt. 29-01-2019 w.e.f. 01-02-2019.

2 Sub-rule (4A) inserted by Noti. No. 16/2020–Central Tax, dt. 23-03-2020 w.e.f. 23-03-2020.

3 Sub-rule (4B) inserted by Noti. No. 14/2022–Central Tax, dt. 05-07-2022 w.e.f. 05-07-2022.

Central Goods & Services Tax Rules, 2017

- (6) A registered person shall, upon noticing any discrepancy in his electronic credit ledger, communicate the same to the officer exercising jurisdiction in the matter, through the common portal in **FORM GST PMT-04**.

Explanation—For the purpose of this rule, it is hereby clarified that a refund shall be deemed to be rejected, if the appeal is finally rejected or if the claimant gives an undertaking to the proper officer that he shall not file an appeal.

नियम 86 : इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाता

- (1) इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाता सामान्य पोर्टल पर अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के लिए पात्र प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के लिए **प्ररूप जीएसटी पीएमटी-04** में बनाया रखा जाएगा और इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय का प्रत्येक दावा उक्त खाते में जमा किया जाएगा।
 - (2) इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाता धारा 49 ¹[या धारा 49क या धारा 49ख] के उपबंधों के अनुसार किसी दायित्व के उन्मोचन की सीमा तक विकलित किया जाएगा।
 - (3) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने धारा 54 के उपबंधों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाते से किसी अनुपयोजित रकम के प्रतिदाय का दावा किया है वहां दावे की सीमा तक रकम उक्त रजिस्टर में विकलित की जाएगी।
 - (4) यदि इस प्रकार फाइल किया गया प्रतिदाय, पूर्णतः या भागतः अस्वीकार कर दिया जाता है, अस्वीकृति की सीमा तक उप-नियम (3) के अधीन विकलित रकम **प्ररूप जीएसटी पीएमटी-03** में किए गए आदेश द्वारा समुचित अधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाते में पुनः जमा की जाएगी।
- ²[(4क) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति किसी संदत्त रकम जो कि दोषपूर्ण कर संदत्त या अधिक्य में संदत्त कर के प्रतिदाय का दावा किया है, जिसके लिए विकलन इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाता से किया गया है, उक्त रकम, यदि ग्राह्य पायी जाती है, को **प्ररूप जीएसटी पीएमटी-03** में उल्लिखित आदेश द्वारा उचित अधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाता में पुनः प्रत्यय किया जाएगा।
- ³[(4ख) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उसको,-
- (क) अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (3) के अधीन; या
 - (ख) नियम 96 के उपनियम (3) के अधीन, नियम 96 के उपनियम (10) के उल्लंघन में, गलती से मंजूर की गई प्रतिदाय की रकम को, **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03** के माध्यम से स्वप्रेरणा से या बताए जाने पर ब्याज और शास्ति सहित, जहां कहीं लागू हो, इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते से विकलित करके जमा करता है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जमा की गई, गलती से मंजूर प्रतिदाय की रकम के समतुल्य रकम, समुचित अधिकारी द्वारा **प्ररूप जीएसटी पीएमटी-03ए** में किए गए आदेश द्वारा इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाते में पुनः जमा कर दी जायेगी;]
- (5) इस अध्याय के नियमों में यथा उपबंधित के सिवाय, किन्हीं भी परिस्थितियों में इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाते में प्रत्यक्षतः कोई प्रविष्टि नहीं की जाएगी।

1 अधिसूचना क्रमांक 3/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.02.2019)।

2 अधिसूचना क्रमांक 16/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 23.03.2020 द्वारा उपनियम (4क) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 23.03.2020)।

3 अधिसूचना क्रमांक 14/2022-केन्द्रीय कर, दिनांक 05.07.2022 द्वारा उपनियम (4ख) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 05.07.2022)।

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

- (6) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाते में कोई विसंगति दिखाई पड़ने पर, उसे **प्ररूप जीएसटी पीएमटी-04** में सामान्य पोर्टल के माध्यम से मामले में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले अधिकारी को संसूचित करेगा।

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजन के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिदाय नामंजूर समझा जाएगा यदि अपील अन्तिम रूप से नामंजूर कर दी जाती है या यदि दावाकर्ता समुचित अधिकारी को एक वचन दे देता है कि वह अपील फाइल नहीं करेगा।
